पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 131/2022

अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

सखविन्द्र कौर पत्नी जगमेल सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड न० 6, 9 एम एल, पो0 ऑव 23 एम एल लठावाली तह व जिला श्रीगंगानगर।

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री बलराम सुथार	(वादी)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 09.09.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीया का सही नाम सुखविन्द्र कौर है तथा उसके पति का नाम जगमेल सिंह है, वादीया के नाम से चक 28 एल एन पी द्वितीय तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 72/10 की 3.130 है0 में से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है, इसी प्रकार से चक 23 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 146/119 मु0 न0 57,65 की कुल 5.469 है0 खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है। वादीया को घर पर जसविन्द्र कौर के नाम से भी पुकारा जाता है इसी कारण चक 23 एम एल के खाता सं0 53/48 की 1.555 है0 के 1/2 हिस्सा में वादीया का नाम सुखविन्द्र कौर के स्थान पर जसविन्द्र कौर दर्ज हो गया है जबकि सुखविन्द्र कौर व जसविन्द्र कौर एक ही औरत है जो कि वादीया है, वादीया के पति ने कभी दो विवाह नहीं किये, वादीया के परिवार का राशन कार्ड सं0 006463200098 बना हुआ है जिसकी नकल शामिल है, वादीया का पैन कार्ड भी बना हुआ है जिसमें राशन की तरह फोटो भी दर्शायी हुई है तथा इसमें भी वादीया का नाम सुखविन्द्र कौर दर्ज है। वादीया चक 23 एम एल के खाता सं0 53/48 व अन्य भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहती है मगर जमाबंदी में नाम गलत दर्ज होने से सुधार कार्य करवाने में बाधा पैदा हो रही है, अतः वादीया चक 23 एम एल के खाता सं0 53/48 की उपरोक्त भूमि की जमाबंदी में जो कि उसकी खातेदारी है सुखविन्द्र सिंह उर्फ जसविन्द्र कौर दर्ज करवाना चाहती है क्योकि सुधार कार्य तभी करवाया जा सकता है जबकि इस खाता की भूमि को वादीया को खातेदार अर्थात सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर घोषित करते हुए जमाबंदी संवत 2073–76 व अन्य जिस जमाबंदी में इस रकबा में इस प्रकार से दर्ज हो में दुरूस्ती करते हुए सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। वादीया ने प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह चक 23 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 53/48 मु0 न0 35 की 1.555 है0 का वादीया सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर को खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरूस्ती करे मगर प्रतिवादी ने कल राज [illegible] कहा है. कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है सक्षम न्यायालय के आदेश से ही दुरूस्ती हो सकेगी, अतः यही बिनाए मुखासमत [illegible] आवश्यक हो गया है [illegible] कि उपरोक्त भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादीया काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा वाद वादीया पेश करके अर्ज है कि वाद वादीया, बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे –

(क) डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 23 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 53/48 मु0 न0 35 की 1.555 है0 का वादीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:13 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार घोषित करते हुए जमाबंदी में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए जसविन्द्र कौर के स्थान पर सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी जगमेल सिंह दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे व इसी प्रकार इस भूमि के सम्बंध में अन्य किसी जमाबंदी में हो तो गलती हो तो दुरूस्ती करने का आदेश दिया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर वादीया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुखविन्द्र कौर किये जाने की अनुशंषा की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर, सुमनदीप कौर पत्नी तरसेम सिंह, तरसेम सिंह पुत्र जगमेल सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 28 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 72/10, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 23 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 56/130, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 23 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 146/119, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 23 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 53/48 की प्रतियां पेश की। वादीया द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य आयकर विभाग पहचान पत्र, आधार कार्ड नं. 8403–7978–9996, परिवार राशन कार्ड सुखविन्द्र कौर पत्नी तरसेमसिंह, आधार कार्ड तरसेम सिंह पुत्र जगमेलसिंह की प्रतियां पेश की। कार्यालय ग्राम पंचायत लट्ठावांली (9एम.एल) द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर एक ही महिला का नाम होना बताया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 23 एमएल, पटवार हल्का लटठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 53/48 मु0 न0 35 की 1.555 में वादीया का नाम जसविन्द्र कौर पत्नी जगमेलसिंह के स्थान पर सुखविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी जगमेल सिंह दर्ज करने का आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील [illegible] दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.09.2022 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:25:13 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)